न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 2020 / 00162

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. गुलाबराम पुत्र दयालराम 2. दयालराम पुत्र उदाराम जातियान मेघवाल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–02 / 08 / 2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है, जो कि वादीगण की खातेदारी कब्जे-काश्त की भूमि है, जिसको आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की खरीद सुदा सम्पति है जिसको वादीगण ने रामसुख पुत्र चौलाराम जाति भांबी निवासी पालड़ी राणावतां तहसील भोपालगढ़ वाला से ग्राम लवारी के खसरा नं. 5 मीन रकबा 15 बीघा खरीद किया था जिसका विक्रय विलेख उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ़ में दिनांक 01.11.1996 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 62 पृष्ठ संख्या 24 क्रम संख्या 997/96 पर पंजीबद्ध किया गया है एवं वादीगण ने प्रभुराम पुत्र रामसुख जाति भांबी निवासी लवारी तहसील भोपालगढ़ वाला से ग्राम लवारी के खसरा नं. 5 मीन रकबा 15 बीघा खरीद किया था जिसका विक्रय विलेख उप पंजीयक कार्यालय भोपालगढ़ में दिनांक 01.11.1996 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 63 पृष्ठ संख्या 25 क्रम संख्या 998/96 पर पंजीबद्ध किया गया है, उक्त भूमि में वादी संख्या 01 का नाम बोलचाल की भाषा में गणपतराम पुत्र दयालराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी संख्या 01 का सही नाम गुलाबराम पुत्र दयालराम है व वादी संख्या 02 के पिता का नाम बोलचाल की भाषा में बुदरराम लिख दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम उदाराम है लेकिन वादीगण के अन्य दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता डायरी, मतदाता पहचान पत्र में वादी संख्या 01 का नाम गुलाबराम पुत्र दयालराम है व वादी संख्या 02 के पिता का नाम उदाराम है। अभी हाल ही में वादीगण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि रेकर्ड में वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में गणपतराम पुत्र दयालराम दर्ज है तथा वादी संख्या 02 के पिता का [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या [illegible] अपना [illegible] गणपतराम के स्थान पर गुलाबराम व वादी संख्या 02 अपने पिता का [illegible] के स्थान [illegible] उदाराम नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः राजस्व ग्राम लवारी [illegible] संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, [illegible] नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 01 का नाम गणपतराम के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

गुलाबराम व वादी संख्या 02 के पिता का नाम बुदरराम के स्थान पर उदाराम नाम की खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाबदावा में निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का लवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लवारी के राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 है0 व खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 है0 में गणपतराम पुत्र दयालराम, दयालराम पुत्र बुदरराम जाति मेघवाल निवासी आसोप दर्ज है। उक्त नाम ग्राम लवारी के नामा0 संख्या 358, 359 के द्वारा जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 01.11.96 पु.सं. 1 जिल्द संख्या 62 पृष्ठ संख्या 22 क्र.सं. 997/96 व दिनांक 01.11.1996 पु.सं. 1 जिल्द सं. 62 पृष्ठ संख्या 23 क्र.सं. 98/96 द्वारा दर्ज किया गया है। अतः पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण व जमाबंदी में दर्ज नाम सही है। जमाबंदी व नामा. सं. 358 व 359 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। अतः जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादीगण का राजस्व वाद हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमावे। हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी, जो निम्न है–

1. यह कि ग्राम लवारी के खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी संख्या 01 गणपतराम के स्थान पर गुलाबराम व वादी संख्या 02 अपने पिता का नाम बुदरराम के स्थान पर उदाराम नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे – वादी

2. यह कि वादीगण का नाम जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेजों के नामान्तरकरण संख्या 358 व 359 के जरिये आया है, अतः जमाबंदी में दर्ज नाम सही है ?

जिम्मे – प्रतिवादी

3. अन्य इस्तदुआ

वादीगण की ओर से स्वयं वादी संख्या 01 व 02 तथा गेनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी लवारी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर, लादाराम पुत्र किसनाराम जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी गजसिंहपुरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर, पांचाराम पुत्र पन्नाराम जाति माली उम्र 58 वर्ष निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर, सुखराम पुत्र कचराराम जाति मेघवाल उम्र 24 वर्ष निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये तथा प्रति सरकारी पैरोकार को दी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संवत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत स्वयं वादीगण, गेनसिंह, लादाराम, पांचाराम, सुखराम के पेश साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि गुलाबराम का पूर्व में बोल चाल की भाषा में नाम गणपतराम था तथा उदाराम का नाम पूर्व में बोल चाल की भाषा में बुदरराम था। बुदरराम व उदाराम इन दोनों नाम का ग्राम आसोप में एक ही व्यक्ति है तथा गणपतराम व गुलाबराम इन दोनों का नाम का ग्राम आसोप में एक ही व्यक्ति है। राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है, उक्त भूमि खातेदारी की भूमि है जो कि गुलाबराम व दयालराम को खरीद से प्राप्त हुई है। राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ के राजस्व रेकर्ड में गणपतराम के स्थान पर गुलाबराम व बुदरराम के स्थान पर उदाराम का नाम सही व सत्य है।

प्रकरण में हल्का पटवारी लवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। हल्का पटवारी लवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लवारी के खसरा नं. 5/24, खसरा नं. 5/8 कुल रकबा 4.8652 हैक्टेयर भूमि के मौके पर राजस्व रेकर्ड के साथ पहुंचने पर पाया कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

कब्जा गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी आसोप का है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार गणपतराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र बुदरराम जाति मेघवाल निवासी आसोप जमाबंदी में दर्ज है। सरकारी पैरोकार ने साक्ष्य वादी जिरह नही करने एवं तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाबदावा को ही साक्ष्य प्रतिवादी समझे जाने का निवेदन किया। अतः साक्ष्य वादी जिरह बंद की गयी तथा तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाबदावा को ही साक्ष्य प्रतिवादी माना जाता है। तत्पश्चात् वादीगण वकील ने जाहिर किया कि साक्ष्य प्रतिवादी जिरह नही करना चाहते। अतः साक्ष्य प्रतिवादी जिरह बंद की गयी। तत्पश्चात् वादीगण वकील एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी।

प्रकरण का तनकी वार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी संख्या 01 – यह कि ग्राम लवारी के खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी संख्या 01 गणपतराम के स्थान पर गुलाबराम व वादी संख्या 02 अपने पिता का नाम बुदरराम के स्थान पर उदाराम नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी है ? वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा के अवलोकन, हल्का पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि गणपतराम पुत्र दयालराम एवं गुलाबराम पुत्र दयालराम एक ही व्यक्ति है तथा दयालराम पुत्र बुदरराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम एक ही व्यक्ति है। तथा वादी का नाम सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में गुलाबराम पुत्र दयालराम, दयालराम पुत्र उदाराम लिखा हुआ है। आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में वादीगण का नाम गुलाबराम पुत्र दयालराम, दयालराम पुत्र उदाराम लिखा हुआ है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार भी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम का कब्जा है। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी के संबंध में गणपतराम के स्थान पर गुलाबराम व बुदरराम के स्थान पर उदाराम नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकीयात संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02 – यह कि वादीगण का नाम जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेजों के नामान्तरकरण संख्या 358 व 359 के जरिये आया है, अतः जमाबंदी में दर्ज नाम सही है ? इस संबंध में प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा पेश जवाब व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगणों के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेजों से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस कारण जमाबंदी में दर्ज नाम सही है। पत्रावली व पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व उक्त जमीन खरीदी थी। वादीगण अनुसूचित जाति वर्ग से है। वादी संख्या 01 जमीन क्रय के समय नाबालिग था तथा वादी संख्या 02 अनपढ़ व्यक्ति है। साक्ष्य शपथपत्र व मौखिक बयानों से भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा बोलचाल में प्रचलित नामों के आधार पर उक्त जमीन खरीद की थी, जबकि वादीगण के सही नाम गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम है। दिनांक 02.08.2021 की हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर भी वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा भी गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम का है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील वादीगण एवं सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि गणपतराम पुत्र दयालराम एवं गुलाबराम पुत्र दयालराम एक ही व्यक्ति है तथा दयालराम पुत्र बुदरराम एवं दयालराम पुत्र उदाराम एक ही व्यक्ति है। तथा वादी का नाम सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में गुलाबराम पुत्र दयालराम, दयालराम पुत्र उदाराम लिखा हुआ है। आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में वादीगण का नाम गुलाबराम पुत्र दयालराम, दयालराम पुत्र उदाराम लिखा हुआ है। अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में गणपतराम पुत्र दयालराम के स्थान पर गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र बुदरराम के स्थान पर दयालराम पुत्र उदाराम नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 02/08/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :—**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला—जोधपुर**
बईजलास :—**श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0**

—: वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. गुलाबराम पुत्र दयालराम		1. तहसीलदार भोपालगढ़
2. दयालराम पुत्र उदाराम		
जातियान मेघवाल निवासी आसोप		
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा,
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं 136 रांजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2020/00162

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....—........ व हाजरी श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 133 जिसके खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में गणपतराम पुत्र दयालराम के स्थान पर गुलाबराम पुत्र दयालराम एवं दयालराम पुत्र बुदरराम के स्थान पर दयालराम पुत्र उदाराम नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....—.....मुबलिक.....—.....बाबत......—.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....—......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....—......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **02/08/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला—जोधपुर (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः—		

मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर		
बाबत ईजराय हुक्म[illegible]		
[illegible]		
मिजानः—		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए [illegible] गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested